कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

वि०को०नि०रू०ए०सी०पी०/07–2010

वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 25.06.2003 एवं 1802 दिनांक 23.03.2006 के द्वारा क्रमशः अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं संशोधित नियमावली, 2006 में निहित प्रावधानों तथा विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की कंडिका–2(i)(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को ए०सी०पी० योजना, 2003 प्रभावी होने की तिथि 09.08.1999 को अथवा उसके पश्चात् 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से उनके नाम के समक्ष कॉलम–5 में अंकित तिथि से वेतनमान् 5500–9000/– में प्रथम वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति दी जाती है :–

क्रम संख्या	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान् 5500–9000/– (पुनरीक्षित पे बैंड–2, ग्रेड पे– 4600) में प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विजयमल कुमार	05.01.65	13.11.95	13.11.07	
2	श्री सुनील कुमार सिन्हा	05.08.57	08.06.93	08.06.05	

2० उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप सभी लाभान्वित कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(1) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा। सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की मूल सेवा पुस्तिका की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है, प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि यथा 12 (बारह) वर्ष की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यालय प्रधान जवाबदेह होंगे।

3० वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि०, दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नही देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

4० उपरोक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ तद्नुसार रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जाएगी, जो उन्हें स्वीकार होगा।

5० उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विकास कुमार बरियार)
सहायक निबंधक (अ०र०),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5834 /पटना, दिनांक 24.07.17

वि०को०नि०रू०ए०सी०पी० / 07–2010

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी / उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना / राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई०सी०डी०पी० / राज्य भंडार निगम / संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बुनकर सहित) / संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी सम्बन्धित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / विशेष कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/17

सहायक निबंधक (अ०र०),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।